[2025] 8 S.C.R. 305 : 2025 INSC 918

सुरेश

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

प्रत्यर्थी1: उत्तर प्रदेश राज्य

प्रत्यर्थी2: देवी सिंह

(आपराधिक अपील सं. 347 सन् 2018)

01 अगस्त 2025

[न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह]

विचारणीय मुद्दा

क्या निचली अदालतों ने घटना की तारीख पर किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत प्रत्यर्थी सं. 2 को 'किशोर' घोषित करने में त्रुटि की थी।

हेडनोट्स

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियमावली, 2007 - नियम 12 - आयु के निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया - प्रत्यर्थी सं. 2 और उसके पिता के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 452 और 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई - प्रत्यर्थी सं. 2 ने किशोर होने का दावा किया - विचारण न्यायालय ने घटना की तारीख पर प्रत्यर्थी सं. 2 को 'किशोर' घोषित किया - अपीलकर्ता द्वारा चुनौती दी गई - उच्च न्यायालय द्वारा आदेश बरकरार रखा गया - हस्तक्षेप:

धारित किया गया: नियम 12(3)(ए) में जांचे जाने वाले प्रमाणपत्रों की अनुक्रमिक सूची और उसका क्रम निर्धारित किया गया है – वर्तमान मामले में, चूंकि नियम 12(3)(ए)(आई) के तहत कोई ‘मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाणपत्र’ उपलब्ध नहीं थे, इसलिए नियम 12(3)(ए)(ii) के तहत, ‘प्रथम पाठशाला (प्ले स्कूल के अलावा) से प्राप्त जन्म तिथि प्रमाणपत्र’ को लागू किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

गया और प्रथम पाठशाला द्वारा जारी प्रमाणपत्र को जन्म तिथि के निर्णायक सबूत के रूप में लिया गया – हालांकि, स्कूल के प्रधानाध्यापक का यह बयान कि जन्म तिथि प्रत्यर्थी सं. 2 के पिता द्वारा मौखिक अभ्यावेदन पर नोट की गई थी, उक्त प्रमाणपत्र को अविश्वसनीय बनाता है – इसके बाद अन्य स्कूल प्रमाणपत्र जारी किए गए और इसलिए, विरोधाभासी सार्वजनिक रिकॉर्ड और सार्वजनिक दस्तावेजों के साथ-साथ मेडिकल रिपोर्ट के मद्देनजर भी सही नहीं हैं, जो इसके विपरीत है– इस प्रकार, प्रथम पाठशाला द्वारा जारी प्रमाणपत्र को प्रत्यर्थी सं. 2 की जन्म तिथि के निर्णायक सबूत के रूप में नहीं लिया जा सकता था , इसलिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत नियमावली के नियम 2 के तहत फॉर्म (ए) को खारिज कर दिया गया; वर्ष 2012 की विधान सभा के लिए मतदाता सूची में प्रविष्टि , और; मेडिकल रिपोर्ट - घटना की तारीख पर प्रत्यर्थी सं. 2 'किशोर' नहीं था - प्रत्यर्थी सं. 2 को 'किशोर' घोषित करना अनुचित था - प्रत्यर्थी सं. 2 को 'किशोर' मानने वाले **विचारण न्यायालय** के आदेश के साथ-साथ उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाता है - साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 35, 74। [पैरा 23-26]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 35, 74 - किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 - किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) नियमावली, 2007 - प्रथम पाठशाला द्वारा जारी प्रमाण पत्र को प्रत्यर्थी सं. 2-अभियुक्त की जन्मतिथि के निर्णायक सबूत के रूप में लिया गया और घटना की तिथि पर उसे 'किशोर' माना गया:

धारित किया गया: प्रथम पाठशाला सरकारी स्कूल नहीं है और इस प्रकार, उक्त स्कूल द्वारा रखे गए रिकॉर्ड 'सार्वजनिक दस्तावेज' नहीं होंगे - इसके अलावा, ऐसे स्कूल के हेडमास्टर/प्रधानाचार्य को साक्ष्य अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 'लोक सेवक' नहीं कहा जा सकता है - इस प्रकार, न तो पहली बार जिस स्कूल में प्रवेश लिया गया उसका हेडमास्टर /प्रधानाचार्य और न ही उसके रिकॉर्ड क्रमशः 'लोक सेवक' या 'सार्वजनिक रिकॉर्ड' या 'सार्वजनिक दस्तावेज' के रूप में योग्य होंगे। [अनुच्छेद 21, 22]

उद्धृत केस लॉ

ओम प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य **[2012] 5 एससीआर 237: (2012) 5 एससीसी 201** -

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

अवलंबित।

बिराद मल सिंघवी बनाम आनंद पुरोहित **[1988] अनुपूरक 2 एससीआर 1: (1988) अनुपूरक एससीसी 604 - संदर्भित।**

अधिनियमों की सूची

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000; किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) नियमावली, 2007; दंड संहिता, 1860; साक्ष्य अधिनियम, 1872; उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947।

कीवर्ड की सूची

किशोर; किशोरावस्था; किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) नियमावली, 2007 का नियम 12; आयु का निर्धारण; किशोर अवस्था स्थापित नहीं हुई; प्रथम बार विद्यालय में उपस्थिति; विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र; जन्मतिथि प्रविष्टि; मौखिक अभ्यावेदन के अनुसार अंकित जन्मतिथि; जन्मतिथि प्रमाण पत्र; समकक्ष प्रमाण पत्र; अन्य विद्यालय प्रमाण पत्र ; विरोधाभासी लोक अभिलेख और लोक दस्तावेज; जन्मतिथि का निर्णायक प्रमाण; परिवार रजिस्टर; विधान सभा की मतदाता सूची में प्रविष्टि; ग्राम पंचायत; घटना की तिथि पर 'किशोर' नहीं होना; 'किशोर' के रूप में घोषणा अनुचित; लोक सेवक; लोक अभिलेख; लोक दस्तावेज; जिस विद्यालय में पहली बार शिक्षा ग्रहण की वह सरकारी विद्यालय नहीं है; जिस विद्यालय में पहली बार शिक्षा ग्रहण की उसका प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य लोक सेवक नहीं है; लोक अभिलेख में प्रविष्टि की प्रासंगिकता; नगर निगम का प्रमाण पत्र; हत्या; गृह-अतिचार; उपदेश; देशी पिस्तौल; मृतक को गोली लगी; मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र; वैधानिक दस्तावेज।

वाद उद्धृत

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 347 वर्ष 2018

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सीआरएलआर सं. 2144 सन् 2015 में दिनांक 29.03.2016 के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

निर्णय एवं आदेश से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता : सुश्री नीमा, राजेश

प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता : विश्व पाल सिंह, मुकेश कुमार, प्रतीक राय, विक्रांत राणा, प्रफुल्ल, अनुराग पांडे, सुश्री आशा गोपालन नायर, सुश्री निवेदिता नायर, शशिकांत प्रल्हाद चौधरी।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह

वर्तमान अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय (एतस्मिनपश्चात 'उच्च न्यायालय' के रूप में संदर्भित) द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण सं. 2144 सन् 2015 में दिनांक 29.03.2016 के आदेश (एतस्मिनपश्चात 'आक्षेपित आदेश' के रूप में संदर्भित) **[2016:एएचसी:50543]** में पारित अंतिम निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं. 1, कैराना, मुजफ्फरनगर (एतस्मिनपश्चात '**विचारण न्यायालय**' के रूप में संदर्भित) के न्यायालय द्वारा 19.05.2015 को पारित आदेश को बरकरार रखा, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 2 को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (एतस्मिनपश्चात 'किशोर न्याय अधिनियम' के रूप में संदर्भित) [जैसा कि तब था] के तहत '*किशोर*' घोषित किया गया था।

संक्षिप्त तथ्य:

2. अपीलकर्ता का आरोप है कि 31 अगस्त 2011 को जब अपीलकर्ता, उसके पिता, माता और उसका भाई/राजेश सिंह (एतस्मिनपश्चात 'राजेश' के रूप में संदर्भित) अपने खेतों में गए थे, तभी उसके चाचा/लिल्लू सिंह और उसके बेटे देवी सिंह/प्रत्यर्थी सं. 2 सुबह करीब 10 बजे उसके घर में जबरन घुस आए। घर पर अकेली मौजूद उसकी पत्नी ने जब उन्हें रोका, तो अपीलकर्ता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

का आरोप है कि दोनों व्यक्तियों – पिता और पुत्र यानी लिल्लू सिंह और प्रत्यर्थी सं . 2 – ने उसके साथ मारपीट की। जब अपीलकर्ता के माता-पिता, जो घटना के दौरान घर पर पहुंचे थे, ने अपीलकर्ता और उसके भाई को यह घटना सुनाई, तो राजेश इस बारे में पूछताछ करने के लिए अभियुक्त/पिता-पुत्र के पास गया। इस बातचीत में, आरोप है कि उसके चाचा और प्रत्यर्थी सं. 2, राजेश को जबरन अपने घर के अंदर ले गए, जहाँ चाचा ने उसे पकड़ लिया और प्रत्यर्थी सं. 2 ने एक देसी पिस्तौल निकालकर राजेश को जान से मारने की नीयत से उस पर गोली चला दी। आरोप है कि इसके बाद, राजेश को चोटें आईं और कैराना अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।

3. इसके बाद, अपीलकर्ता ने लिल्लू सिंह और प्रत्यर्थी सं. 2 के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (एतस्मिनपश्चात 'भा.दं.सं.' के रूप में संदर्भित) की धारा 452[1] और 302[2] के तहत कैराना पुलिस थाना, मुजफ्फरनगर में मुकदमा अपराध सं. 385 सन् 2011 के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई।

4. यह शिकायत विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, कैराना, मुजफ्फरनगर की अदालत में सत्र परीक्षण सं. 123 सन् 2012 में परिवर्तित की गई। इस दलील के साथ कि उसकी जन्मतिथि 18.04.1995 है और घटना की तिथि को उसकी आयु 16 वर्ष, 4 माह और 13 दिन थी, प्रत्यर्थी सं. 2 ने सत्र विचारण सं. 123 सन् 2012 से संबंधित अपनी नाबालिगता स्थापित करने के लिए विचारण न्यायालय में मिस्लेनियस वाद सं. 04/11/2015 के रूप में एक मिस्लेनियस आवेदन दायर किया। विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य और सामग्री का मूल्यांकन करने के बाद, दिनांक 19.05.2015 के आदेश द्वारा पुष्टि की कि घटना की तिथि को प्रत्यर्थी सं. 2 की आयु 16 वर्ष, 4 माह और 13 दिन थी और इस प्रकार उसकी नाबालिगता स्थापित होती है।

5. निचली अदालत के आदेश से व्यथित होकर , अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

1*452. क्षति, हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह–अतिचार*––*जो कोई किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने या किसी व्यक्ति पर हमला करने, या किसी व्यक्ति को सदोष अवरोधित करने, या किसी व्यक्ति को क्षति, या हमले, या सदोष अवरोध से भयभीत करने की तैयारी करके गृह–अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।'*

2*'302. हत्या के लिए दण्ड*––*जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्युदंड से, या आजीवन कारावास से, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।*

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी सं. 2 की नाबालिगता की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई।

<u>अपीलकर्ता की दलीलें:</u>

6. अपीलकर्ता की दलीलें मुख्य रूप से इस ओर इशारा करती हैं कि कैसे निचली अदालतों ने प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा भाग लिए गए पहले स्कूल, यानी कौशिक मॉडर्न पब्लिक स्कूल, खुरगांव द्वारा जारी किए गए स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 2 की किशोरता को स्थापित करने और पुष्टि करने में गलती की , जिसमें उसे सीधे कक्षा V में भर्ती कराया गया था। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील प्रस्तुत किया कि स्कूल द्वारा जारी इस प्रमाण पत्र पर अदालतों का भरोसा गलत था, जब ग्राम पंचायत द्वारा उ.प्र. पंचायत राज अधिनियम, 1947 के तहत बनाए गए परिवार रजिस्टर जैसे एक वैधानिक दस्तावेज ने प्रत्यर्थी सं. 2 की उम्र 20 वर्ष घोषित की, जिसमें उसके जन्म का वर्ष 1991 बताया गया। इसके अलावा, वर्ष 2012 की मतदाता सूची में भी प्रत्यर्थी सं. 2 की उम्र 01.01.2012 को 22 वर्ष बताई गई। इस प्रकाश में, विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि हालांकि स्कूल प्रमाण पत्र थे , जिनमें प्रत्यर्थी सं. 2 की जन्मतिथि 18.04.1995 बताई गई थी, लेकिन पहले स्कूल द्वारा जारी किए गए स्थानांतरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि के आधार पर, इन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए था, जबकि इस दावे का खंडन करने वाले साक्ष्य मौजूद हैं, विशेष रूप से इस तथ्य के प्रकाश में कि प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा पहले स्कूल में पढ़ाई की गई थी, उसने उसे सीधे कक्षा 5 में प्रवेश दिया था, और उसकी जन्मतिथि 18.04.1995 दर्ज की थी - उसके पिता के मौखिक उल्लेख पर, उसकी जन्मतिथि के लिए किसी भी सबूत का परीक्षण/जांच किए बिना।

7. इस परिप्रेक्ष्य में, विद्वान अधिवक्ता ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (एतस्मिनपश्चात 'साक्ष्य अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 35 के आधार पर अपने तर्क को पुष्ट करने का प्रयास किया, जो किसी दस्तावेज़ को तभी स्वीकार्य बनाता है जब वह किसी प्रासंगिक तथ्य या विवाद्यक तथ्य का उल्लेख करता हो और यदि वह किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा विशेष रूप से निर्दिष्ट कर्तव्य के पालन में बनाया गया हो। यह प्रस्तुत किया गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 सिविल और आपराधिक दोनों कार्यवाहियों में लागू होगी। इस तर्क के समर्थन में , अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने ***बिराद मल सिंघवी बनाम आनंद पुरोहित, 1988 सप्प एससीसी 604*** में इस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

न्यायालय के एक निर्णय का संदर्भ दिया, जिसमें धारित किया गया था:

*'**15.** ... धारा 35 के तहत किसी दस्तावेज़ को स्वीकार्य बनाने के लिए, तीन शर्तें पूरी होनी चाहिए, पहली, जिस प्रविष्टि पर भरोसा किया जाता है वह किसी सार्वजनिक या अन्य आधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर या रिकॉर्ड में होनी चाहिए, दूसरी बात; यह एक मुद्दे या प्रासंगिक तथ्य को बताने वाली प्रविष्टि होनी चाहिए, और तीसरी बात, यह किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कानून द्वारा विशेष रूप से विहित कर्तव्य के पालन में की जानी चाहिए। स्कूल रजिस्टर में की गई जन्मतिथि से संबंधित प्रविष्टि अधिनियम की धारा 35 के तहत प्रासंगिक और स्वीकार्य है, लेकिन स्कूल रजिस्टर में किसी व्यक्ति की उम्र के बारे में प्रविष्टि उस व्यक्ति की उम्र साबित करने के लिए बहुत साक्ष्य मूल्य की नहीं है, जिस पर उम्र दर्ज की गई थी। ...'*

8. महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 01.12.2012 को दिए गए मेडिकल साक्ष्य/रिपोर्ट के अनुसार भी अभियुक्त प्रत्यर्थी सं. 2 की आयु 18 वर्ष से अधिक थी, जिसमें कहा गया था कि उसकी आयु 22 वर्ष थी, जिसका अर्थ है कि घटना के समय अभियुक्त की आयु 20 वर्ष से अधिक थी, और इस प्रकार, वह किशोर होने का कोई दावा नहीं कर सकता था। इस दलील का समर्थन करने के लिए, विद्वान अधिवक्ता ने ***ओम प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य, (2012) 5 एससीसी 201*** के फैसले पर संदर्भ दिया, जिसमें इस न्यायालय ने कहा था कि हत्या, बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराधों के मामलों में, किसी अभियुक्त को खुद को नाबालिग साबित करने का प्रयास करके उसे दी गई वैधानिक सुरक्षा का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जब उसके नाबालिग होने को साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य उसके नाबालिग होने के दावे के बारे में उचित संदेह को जन्म देते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसी परिस्थितियों में, वैज्ञानिक जाँच पर आधारित चिकित्सा साक्ष्य को स्कूल प्रशासन के अभिलेखों पर आधारित साक्ष्यों पर उचित महत्व और वरीयता दी जानी चाहिए, क्योंकि ये साक्ष्य अभियुक्त की आयु के बारे में परिकल्पना और अटकलों को जन्म देते हैं। यह प्रार्थना की गई कि अपील स्वीकार की जाए।

<u>प्रत्यर्थी सं. 1-राज्य की ओर से दलीलें:</u>

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

9. प्रत्यर्थी सं. 1/उत्तर प्रदेश राज्य ने संक्षेप में दलील दी कि चूँकि प्रत्यर्थी सं . 2 ने न तो जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया और न ही मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, ऐसे मामले में, स्थानांतरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि को अभियुक्त-प्रत्यर्थी सं. 2 को किशोर न्याय अधिनियम का लाभ देने का आधार नहीं बनाया जा सकता, खासकर जब अपीलकर्ता ने मतदाता सूची, परिवार रजिस्टर और चिकित्सा रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिससे पता चलता है कि घटना के समय प्रत्यर्थी सं. 2 बालिग था। इसलिए, राज्य ने यह भी प्रार्थना की कि निचली अदालतों के आदेशों में हस्तक्षेप किया जाए और उन्हें रद्द किया जाए, और इस अपील को स्वीकार किया जाए।

<u>प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से दलीलें:</u>

10. प्रत्यर्थी सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता ने तीन-स्तरीय तर्क प्रस्तुत किए। *सबसे पहले*, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं. 2 की नाबालिगता को उसके द्वारा पढ़े गए कई स्कूलों के स्थानांतरण प्रमाणपत्रों में लगातार दर्ज जन्मतिथि (तिथियों) के आधार पर स्थापित किया है। यह जन्मतिथि, यानी 18.04.1995, जैसा कि उन चार स्कूलों के स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्रों में दर्ज है जहाँ प्रत्यर्थी सं. 2 ने कक्षा पाँचवीं से नौवीं तक पढ़ाई की थी, यह दर्शाता है कि घटना की तारीख को उसकी उम्र 16 साल, 4 महीने और 13 दिन थी और इस प्रकार, वह किशोर न्याय अधिनियम के तहत किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) नियमावली, 2007 (एतस्मिनपश्चात 'नियमावली' के रूप में संदर्भित) के नियम 12 के साथ प्रदत्त लाभ का हकदार है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जिन स्कूलों ने ये स्कूल प्रमाणपत्र दिए थे, उनके अधिकारियों की भी जाँच की गई थी और इन प्रमाणपत्रों की वैधता की पुष्टि इन गवाहों ने की थी। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहियों के आलोक में, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं. 2 की नाबालिगता को सही ढंग से स्थापित किया है।

11. *दूसरे*, विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि नियमावली के नियम 12 में प्रावधान है कि किसी अभियुक्त की किशोरावस्था का निर्धारण करने वाला न्यायालय मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र प्राप्त करके सबूत मांग सकता है, जिसके अभाव में, पहले स्कूल से जन्म तिथि प्रमाणपत्र, जिसके अभाव में किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा दिया गया जन्म प्रमाणपत्र , और केवल इन दस्तावेजों के अभाव में, किशोर की उम्र घोषित करने वाली चिकित्सा राय पर विचार किया जाएगा। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि वर्तमान मामले में , चूंकि प्रत्यर्थी सं. 2 के संबंध में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं था, कौशिक मॉडर्न पब्लिक स्कूल, खुरगांव, शामली, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र, जो कि पहले स्कूल का प्रमाण पत्र है, एकमात्र सबूत है कि प्रत्यर्थी सं. 2 की जन्मतिथि 18.04.1995 है, तथा नगर निगम या परिवार रजिस्टर का प्रमाण पत्र या मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र जैसे किसी अन्य साक्ष्य पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

12. *तीसरा,* विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी सं. 2 को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम तीन वर्ष की सजा पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया है। अतः, यह आग्रह किया गया कि अपील खारिज की जाए।

विश्लेषण, तर्क और निष्कर्ष:

13. इस मुद्दे पर गहन विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण उचित नहीं था। यद्यपि किशोर होने के मुद्दे का निर्धारण, निस्संदेह और प्राथमिक रूप से, किशोर न्याय अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए, जो उस समय लागू थे, फिर भी, उचित परिस्थितियों और उचित कारणों से, इस मुद्दे की जाँच करने वाले न्यायालय को अन्य प्रासंगिक सामग्रियों और कारकों को ध्यान में रखने का विवेकाधिकार है, क्योंकि अंततः न्याय की ही जीत होनी चाहिए।

14. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी सं. 2 के खिलाफ गंभीर आरोप यह है कि अपने पिता के कहने पर, वह अपने पिता के साथ मृतक राजेश को जबरन अपने घर के अंदर ले गया, जिसके बाद प्रत्यर्थी सं. 2 ने एक देशी पिस्तौल निकाली और मृतक राजेश को गोली मार दी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई।

15. किशोरवय के निर्धारण को नियंत्रित करने वाली जांच की पद्धतियों के संबंध में, नियमावली के नियम 12(3) में प्रावधान है:

> ***'12. आयु निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया - ...***
>
> *(3) विधि का उल्लंघन करने वाले बालक या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, आयु निर्धारण जांच न्यायालय या बोर्ड या, यथास्थिति, समिति द्वारा साक्ष्य*

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्राप्त करके की जाएगी -

(क) (i) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में;

(ii) उस स्कूल (प्ले स्कूल को छोड़कर) से जन्म तिथि प्रमाण पत्र जिसमें पहली बार शिक्षा प्राप्त की थी; और उसके अभाव में;

(iii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र;

(ख) और केवल उपरोक्त खंड (क) के (i), (ii) या (iii) के अभाव में, विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा राय ली जाएगी, जो किशोर या बच्चे की आयु घोषित करेगा। यदि आयु का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है , तो न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति, उनके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यदि आवश्यक समझे, तो एक वर्ष की अवधि के भीतर बच्चे या किशोर की आयु को कम मानकर उसे लाभ दे सकती है।

और ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय, यथास्थिति, उपलब्ध साक्ष्य या चिकित्सीय राय पर विचार करने के पश्चात् उसकी आयु के संबंध में निष्कर्ष अभिलिखित किया जाएगा और खंड (क)(i), (ii), (iii) में से किसी में निर्दिष्ट साक्ष्य में से कोई साक्ष्य या उसके अभाव में खंड (ख) ऐसे बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के संबंध में आयु का निर्णायक सबूत होगा।'

16. वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा अध्ययन किए गए बताए गए विद्यालयों से चार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, अर्थात पब्लिक इंटर कॉलेज, कैराना, मुजफ्फरनगर; एस.एन. जूनियर हाई स्कूल, कैराना; सर्वोदय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, मोहल्ला शीतला, कैराना, मुजफ्फरनगर, और; कौशिक मॉडर्न पब्लिक स्कूल, खुरगांव, लेकिन सभी प्रमाण पत्र पहले अध्ययन किए गए विद्यालय, कौशिक मॉडर्न पब्लिक स्कूल, खुरगांव द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों पर आधारित हैं।

17. कौशिक मॉडर्न पब्लिक स्कूल, खुरगाँव, जहाँ प्रत्यर्थी सं. 2 को कक्षा 5 में प्रवेश दिया गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

था, द्वारा जारी प्रथम विद्यालय प्रमाण पत्र में उसकी जन्मतिथि 18.04.1995 दर्ज है। यहाँ रुकते हुए, यह बताना भी प्रासंगिक है कि उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने गवाही देते समय कहा है कि यह जन्मतिथि प्रविष्टि केवल प्रत्यर्थी सं. 2 के पिता के मौखिक अभ्यावेदन पर की गई थी।

18. दूसरी ओर, अपीलकर्ता ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 के तहत बनाए गए परिवार रजिस्टर से संबंधित पृष्ठ प्रस्तुत किया, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 2 का जन्म वर्ष 1991 दर्ज है। अपीलकर्ता ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का भी हवाला दिया,जिसका गठन विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए संदर्भ के आधार पर किया गया था, जब प्रत्यर्थी सं. 2 ने उसके समक्ष किशोर होने की दलील दी थी। इस तरह की जांच और रिपोर्ट 01.12.2012 को यानी घटना की तारीख से लगभग एक साल बाद पेश की गई। मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से यह राय दी कि प्रत्यर्थी सं. 2 की आयु लगभग 22 वर्ष थी, जिससे घटना के दिन उसकी आयु 20-21 वर्ष के बीच होगी, जबकि स्कूल प्रमाण पत्रों के अनुसार उसकी अनुमानित आयु 16 वर्ष, 4 महीने और 13 दिन थी। एक और पहलू जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, वह है कैराना विधान सभा क्षेत्र की वर्ष 2012 की मतदाता सूची। सूची में प्रत्यर्थी सं. 2 की आयु 01.01.2012 को लगभग 21 वर्ष दर्शाई गई है। यह प्रविष्टि निर्णायक प्रमाण नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि ऐसी प्रविष्टि केवल संबंधित व्यक्ति या उसके माता-पिता/अभिभावक के प्रतिनिधित्व पर ही की गई है। प्रत्यर्थी सं. 2 का नाम मतदाता सूची में होने पर उसके या उसके माता-पिता द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। हमारे सुविचारित विचार में, इस तरह के आचरण का प्रभाव पड़ेगा, खासकर जब उसके नाबालिग होने से इनकार करने वाले प्रतिद्वंदी और प्रतिस्पर्धी दस्तावेज़ मौजूद हों।

19. 'सार्वजनिक अभिलेख' में प्रविष्टि की प्रासंगिकता साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 द्वारा निर्देशित होती है:

> *'**35. कर्तव्य के पालन में लोक अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि की प्रासंगिकता**-- किसी लोक या अन्य शासकीय पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख में कोई प्रविष्टि, जिसमें किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य का कथन हो और जो किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के पालन में, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस देश की विधि द्वारा विशेष रूप से आदेशित कर्तव्य के पालन में की गई हो जिसमें ऐसी पुस्तक, रजिस्टर*

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

या अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख रखा जाता है, स्वयं एक सुसंगत तथ्य है।'

20. साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 'सार्वजनिक दस्तावेजों' से संबंधित हैः

*'**74. सार्वजनिक दस्तावेज—**निम्नलिखित दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेज हैं: —*

(1) कृत्यों को बनाने वाले दस्तावेज, या कृत्यों के अभिलेख -

(i) संप्रभु प्राधिकरण के,

(ii) आधिकारिक निकायों और न्यायाधिकरणों का, और

(iii) भारत के किसी भाग या राष्ट्रमंडल या किसी विदेशी देश के विधायी , न्यायिक और कार्यपालक लोक अधिकारियों का;

(2) किसी भी राज्य में रखे गए सार्वजनिक अभिलेख या निजी दस्तावेज।

21. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि कौशिक मॉडर्न पब्लिक स्कूल, खुरगाँव - जहाँ सबसे पहले प्रवेश लिया गया था - एक सरकारी स्कूल नहीं है और इसलिए, उक्त स्कूल द्वारा रखे गए अभिलेख 'सार्वजनिक दस्तावेज़' नहीं होंगे। इसके अलावा, ऐसे स्कूल के हेडमास्टर/प्रधानाचार्य को साक्ष्य अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 'लोक सेवक' नहीं कहा जा सकता। प्रधानाध्यापक ने स्वयं यह तर्क दिया है कि कौशिक मॉडर्न पब्लिक स्कूल, खुरगाँव केवल एक राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल था।

22. इसलिए, न तो पाठशाला के हेडमास्टर/प्रधानाचार्य और न ही उसके अभिलेख क्रमशः 'लोक सेवक' या 'लोक अभिलेख' या 'लोक दस्तावेज' के रूप में योग्य होंगे।

23. वैसे भी, इस मामले में, हेडमास्टर की एकमात्र गवाही को छोड़कर, यह साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि कौशिक मॉडर्न पब्लिक स्कूल, खुरगांव द्वारा जारी प्रमाण पत्र में दर्ज प्रत्यर्थी सं. 2 की जन्मतिथि के रूप में 18.04.1995 की तारीख सही थी। वास्तव में, प्रिंसिपल ने अपनी जिरह में कहा कि जब प्रत्यर्थी सं. 2 उस दिन कटिंग करने के बाद स्कूल से निकल रहा था तो उसने सही जन्मतिथि लिखी थी। इसके अलावा, प्रिंसिपल ने यह भी कहा है कि जन्मतिथि की प्रविष्टि प्रत्यर्थी सं. 2 के पिता द्वारा केवल मौखिक प्रतिनिधित्व के आधार पर की गई थी और जब उनसे प्रत्यर्थी सं. 2 की जन्मतिथि के समर्थन में कुंडली या कोई अन्य दस्तावेज मांगा गया, तो कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया। यह, हमारे विचार से, कौशिक मॉडर्न

अस्वीकरणः अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

पब्लिक स्कूल, खुरगांव द्वारा जारी प्रमाण पत्र को अविश्वसनीय बनाता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अन्य स्कूल प्रमाणपत्र इसके बाद जारी किए गए थे और इसलिए, उनका भी यही हश्र होगा क्योंकि विरोधाभासी सार्वजनिक अभिलेखों और सार्वजनिक दस्तावेजों , यहाँ तक कि मेडिकल रिपोर्ट, जो इसके विपरीत बताती है, के कारण उन्हें सही नहीं माना जा सकता। *ओम प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य (उपरोक्त)* मामले में दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की गई टिप्पणियाँ स्पष्ट रूप से ध्यान आकर्षित करती हैं, और उनके प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं:

> *'22. इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि किशोर अभियुक्त के पक्ष में यह स्पष्ट और सुस्पष्ट मामला है कि घटना के दिन वह 18 वर्ष से कम आयु का नाबालिग था और दस्तावेज़ी साक्ष्य कम से कम प्रथम दृष्टया इसे सिद्ध करते हैं, तो वह किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत इस विशेष संरक्षण का हकदार होगा। लेकिन जब कोई अभियुक्त कोई गंभीर और जघन्य अपराध करता है और उसके बाद नाबालिग होने की आड़ में क़ानूनी शरण लेने का प्रयास करता है , तो यह दर्ज करते समय कि अभियुक्त किशोर है या नहीं, लापरवाही की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि न्यायालयों को न्याय प्रशासन के लिए सौंपी गई संस्था में आम आदमी के विश्वास की रक्षा के उद्देश्य से अपने कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।*
>
> *23. इसलिए, जहाँ अदालतों को यौन उत्पीड़न, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या और कई अन्य अपराधों जैसे गंभीर प्रकृति के मामलों में शामिल किशोरों के मामले में संवेदनशील होना चाहिए , वहीं अभियुक्त को खुद को नाबालिग साबित करने की कोशिश करके वैधानिक संरक्षण का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब उसके नाबालिग होने को साबित करने वाले दस्तावेज़ी साक्ष्य उसके नाबालिग होने के दावे पर उचित संदेह पैदा करते हैं। ऐसी परिस्थिति में, वैज्ञानिक जाँच पर आधारित चिकित्सा साक्ष्य को स्कूल प्रशासन के रिकॉर्ड पर आधारित साक्ष्य पर उचित महत्व और वरीयता दी जानी चाहिए, जो अभियुक्त की उम्र के बारे में परिकल्पना और अटकलों को जन्म देते हैं। हालाँकि, अगर शैक्षणिक प्रमाणपत्रों और स्कूल रिकॉर्ड को जानबूझकर गुप्त उद्देश्य*

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

से रोके जाने का आरोप लगाया जाता है और अभियोजन पक्ष द्वारा चिकित्सा साक्ष्य की प्रामाणिकता को चुनौती दी जाती है, तो मामला अलग स्तर पर खड़ा होगा।

xxx

33. इसी प्रकार, यदि किसी अभियुक्त का आचरण या अपराध करने का तरीका और ढंग, अपराध करने वाले अभियुक्त की दुष्टता और सुनियोजित डिजाइन को इंगित करता है, जो एक निर्दोष बच्चे की तुलना में अभियुक्त के परिपक्व कौशल की ओर अधिक इंगित करता है, तो अभियुक्त की आयु के समर्थन में विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में, चिकित्सीय साक्ष्य जो यह दर्शाता है कि अभियुक्त बालिग था, को किशोर न्याय अधिनियम जैसे उदार कानून के सिद्धांत का सहारा लेकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम का वैधानिक संरक्षण उन नाबालिगों के लिए है जो निर्दोष कानून तोड़ने वाले हैं, न कि परिपक्व दिमाग वाले अभियुक्तों के लिए जो अपने द्वारा किए गए अपराध की सजा से खुद को बचाने के लिए नाबालिग होने की दलील को एक चाल या ढाल के रूप में उपयोग करते हैं।

34. किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत उदार कानून का लाभ स्पष्ट रूप से एक वास्तविक बाल अभियुक्त/किशोर को संरक्षण प्रदान करेगा, जो अपने नाबालिग होने के तर्क के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करके न्यायालय को इस दुविधा में नहीं डालता कि वह किशोर है या नहीं, किन्तु इसके अभाव में, केवल अस्थिर साक्ष्य जैसे कि स्कूल प्रवेश रजिस्टर, जो सिद्ध नहीं है, या अनुमान पर आधारित मौखिक साक्ष्य, जो और अधिक अस्पष्टता की ओर ले जाता है, के आधार पर अभियुक्त की आयु का आकलन करने के लिए चिकित्सा साक्ष्य का अवमूल्यन नहीं किया जा सकता है।

35. चिकित्सा साक्ष्य की प्रासंगिकता और मूल्य पर विचार करते समय, यद्यपि डॉक्टर द्वारा आयु का अनुमान लगाना सबूत के लिए एक मजबूत आधार नहीं है क्योंकि यह केवल एक राय है, तथापि अस्थिभंग और रेडियोलॉजिकल परीक्षा जैसे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

वैज्ञानिक चिकित्सा परीक्षणों पर आधारित ऐसी राय को कथित किशोर अभियुक्त की आयु निर्धारित करते समय पुष्टिकारक मूल्य वाले एक मजबूत साक्ष्य के रूप में माना जाएगा।

xxx

38. किशोर न्याय अधिनियम, जिसका उद्देश्य निश्चित रूप से बाल अभियुक्तों के साथ सावधानी और संवेदनशीलता से पेश आना और उन्हें सुधरने और समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर प्रदान करना है, उसे जघन्य अपराधों के मुकदमे और सुनवाई के दौरान न्याय प्रक्रिया को धोखा देने के हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसे स्पष्ट रूप से न्याय व्यवस्था को कमज़ोर करने का प्रयास माना जाएगा और इसलिए इसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता।

(जोर दिया गया)

24. नियमावली का नियम 12(3)(क) जाँचे जाने वाले प्रमाणपत्रों की क्रमिक सूची और उनके क्रम को निर्धारित करता है। चूँकि नियमावली के नियम 12(3)(क)(i) के अंतर्गत कोई 'मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाणपत्र' उपलब्ध नहीं थे, इसलिए नियम 12(3)(क)(ii) के अंतर्गत, 'उस स्कूल (प्ले स्कूल को छोड़कर) से प्राप्त जन्मतिथि प्रमाणपत्र' को स्वीकार किया गया और कौशिक मॉडर्न पब्लिक स्कूल, खुरगाँव द्वारा जारी प्रमाणपत्र को जन्मतिथि के निर्णायक प्रमाण के रूप में लिया गया। हालाँकि, स्कूल के प्रधानाध्यापक का बयान, विशेष रूप से इस आशय का कि जन्मतिथि प्रत्यर्थी सं. 2 के पिता द्वारा मौखिक अभ्यावेदन के अनुसार दर्ज की गई थी, उक्त प्रमाण पत्र को अविश्वसनीय बनाता है। आगे बढ़ते हुए, नियमावली के नियम 12(3) (क)(iii) और नियम 12(3)(ख) क्रमशः 'किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिए गए जन्म प्रमाण पत्र' का प्रावधान करते हैं और 'केवल उपरोक्त खंड (क) के (i), (ii) या (iii) के अभाव में, विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा राय मांगी जाएगी, जो किशोर या बच्चे की आयु घोषित करेगा।'

25. नियमावली सहित मामले से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों के समग्र अवलोकन से जो तस्वीर उभरती है वह यह है कि एक ओर, प्रथम पाठशाला के प्रधानाध्यापक की गवाही द्वारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

समर्थित प्रमाण पत्र है (जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है कि रिकॉर्डिंग प्रत्यर्थी सं. 2 के पिता के मौखिक कथन पर की गई थी) जो जन्म तिथि से संबंधित है और तीन परिणामी रूप से निर्मित/जारी प्रमाण पत्र हैं, जबकि दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 के तहत बनाई गई नियमावली के नियम 2 के तहत फॉर्म (क) में एक वैधानिक दस्तावेज, एक सार्वजनिक रिकॉर्ड और एक सार्वजनिक दस्तावेज है, जो प्रत्यर्थी सं. 2 के जन्म वर्ष 1991 के रूप में प्रकट करता है और साथ ही वर्ष 2012 की विधान सभा के लिए मतदाता सूची में प्रविष्टि और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 की आयु के बारे में दी गई मेडिकल रिपोर्ट, जिसने राय दी कि प्रत्यर्थी सं. 2 की आयु 01.12.2012 को लगभग 22 वर्ष थी। इस प्रकार, कौशिक मॉडर्न पब्लिक स्कूल, खुरगाँव द्वारा जारी प्रमाण पत्र को उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत नियमावली के नियम 2 के प्रपत्र (क) ; वर्ष 2012 की विधान सभा की मतदाता सूची में प्रविष्टि, और चिकित्सा रिपोर्ट के विपरीत प्रत्यर्थी सं. 2 की जन्मतिथि का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता था। बाद के तीन दस्तावेजों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी सं. 2 को दुर्भाग्यपूर्ण घटना की तिथि पर 'किशोर' नहीं कहा जा सकता।

26. तदनुसार, उपरोक्त कारणों से, प्रत्यर्थी सं. 2 को 'किशोर' घोषित करना स्पष्ट रूप से अनुचित है, अतः आक्षेपित आदेश तथा प्रत्यर्थी सं. 2 को 'किशोर' मानने वाले विचारण न्यायालय के दिनांक 19.05.2015 के आदेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी सं. 2 को कथित अपराध के घटित होने की तिथि को बालिग माना जाता है और उस पर अपराध सं. 385 सन् 2011, थाना - कैराना के लिए बालिग के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है।

27. मुकदमे में तेजी लाई जाए। निचली अदालत को निर्देश दिया जाता है कि वह मुकदमे को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करे और यह सुनिश्चित करे कि इसे जुलाई, 2026 के अंत तक तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाया जाए।

28. प्रत्यर्थी सं. 2 के लिखित दलील के मद्देनजर कि अभियुक्त/प्रत्यर्थी सं. 2 को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा रिहा कर दिया गया है, यह निर्देश दिया जाता है कि वह आज से तीन सप्ताह के भीतर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित हो और जमानत के लिए प्रार्थना करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिस पर निचली अदालत द्वारा उसके मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा। तीन सप्ताह के भीतर उपस्थित न होने पर राज्य उसे पेश करने के लिए बलपूर्वक उपाय करने में सक्षम हो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

जाएगा। पूर्णता के लिए, किशोर न्याय अधिनियम के तहत तीन वर्ष पूरे करने पर उसकी रिहाई का निर्देश देने वाले आदेश को भी अपास्त किया जाना आवश्यक है और इसे अपास्त किया जाता है।

29. मुकदमा वर्तमान निर्णय से प्रभावित हुए बिना, कानून के अनुसार अपने मेरिट के आधार पर आगे बढ़ेगा। यदि मुकदमे के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि होती है, तो प्रत्यर्थी सं. 2 की 3 वर्ष की सजा समायोजित की जाए।

30. अपील उपर्युक्त शर्तों के अंतर्गत स्वीकार की जाती है।

वाद का परिणाम: अपील स्वीकार की गई।

हेडनोट्स द्वारा : दिव्या पांडे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।